बिहार सरकार
शिक्षा विभाग,

<u>अधिसूचना</u>

संख्या 15/एम 1–10/2017 पटना, दिनांक 2017

विषयः– बिहार राज्य में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण उच्च शिक्षा हेतु ऋण के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए क्रियान्वित हो रही बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में राज्य प्रावैद्यिकी शिक्षा पर्षद् से निर्गत तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट अथवा 12वीं की योग्यता के समतुल्य मान्यता प्रदान करते हुए इस योजना में कुल 34 विभिन्न पाठ्यक्रमों को आच्छादित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015–20 के अन्तर्गत विकसित बिहार के सात निश्चय के अधीन बिहार राज्य में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण उच्च शिक्षा हेतु ऋण के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू किया गया है।

2. इस योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत संकल्प संख्या 1470 दिनांक 29.09.16 की कंडिका 4 में योजना के लिए पात्रता संबंधी शर्त्तों का समावेश है जिसकी कंडिका 4 (II) में अंकित है कि यह ऋण उच्च शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रमों एवं विभिन्न व्यवसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों यथा –बी0ए0/ बी0एस0सी0/ इंजीनियरिंग/ एम0बी0बी0एस0/प्रबंधन/विधि आदि के लिए दी जा सकेगी।

3. इस योजना के सम्यक् क्रियान्वयन तथा अभ्यर्थियों/लाभुको को इस योजना का समुचित लाभ प्रदान किए जाने हेतु इस योजना में शामिल किए जाने वाले विभिन्न व्यवसायिक/ तकनीकी/सामान्य पाठ्यक्रमों की स्पष्ट विवरणी सार्वजनिक किया जाना आवश्यक है।

4. योजना के क्रियान्वयन के क्रम में राज्य प्रावैद्यिकी शिक्षा पर्षद से निर्गत तीन वर्षीय डिप्लोमा की उपाधि को इंटरमीडिएट अथवा 12वीं कक्षा के समतुल्य मान्यता दिए जाने पर विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग का मंतव्य प्राप्त किया गया। विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग द्वारा राज्य प्रावैद्यिकी शिक्षा पर्षद से निर्गत तीन वर्षीय डिप्लोमा की उपाधि को इंटरमीडिएट अथवा 12वीं कक्षा के समतुल्य मान्यता प्रदान किए जाने की सहमति प्रदान की गई है।

5. विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग के मंतव्य एवं विभागीय स्तर पर विचारोपरांत राज्य प्रावैद्यिकी शिक्षा पर्षद से निर्गत तीन वर्षीय डिप्लोमा की उपाधि को इंटरमीडिएट अथवा

12वीं कक्षा के समतुल्य मान्यता प्रदान करते हुए इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित 34 पाठ्यक्रमों को शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :--

S. No.	Name of Courses
01	B.A/B.Sc./B.Com (All Subject)
02	B.C.A./B.Sc.(Information Technology/Computer Application/ Computer Science)
03	B. Sc. (Agriculture)
04	B. Sc. (Library Science)
05	B.Sc./B.H.M.C.T./B. Tech (Hotel Management and Catering Technology/Hospital and Hotel Management)
06	Diploma in Hotel Management (Three Year) (I.H.M. Course)
07	B.Tech/B.E./B.Sc. (Engineering - all branches)
08	B. Sc. (Nursing)
09	Bachelor of Pharmacy
10	B.V.M.S.
11	B.A.M.S.
12	B.U.M.S.
13	B.H.M.S.
14	B.D.S.
15	G.N.M.
16	Bachelor of Mass Communication/Mass Media/Journalism
17	B.Sc in Fashion Technology/Designing/Apparel Designing/Footwear Designing
18	Bachelor of Architecture
19	B.P.Ed.
20	B.Ed.
21	M.Sc./M.Tech integrated course (जिसमें नामांकन की योग्यता + 2 समकक्ष है)
22	Bachelor of Physiotherapy
23	Bachelor of Occupational Therapy
24	Diploma in Food Processing/ Food Production
25	Diploma in food & Beverage services
26	B.A./B.Sc./B.Ed. (Integrated courses)
27	B.B.A.
28	B.F.A.
29	Diploma in Food, Nutrition/Dietetics
30	M.B.B.S.
31	BL./LLB (5 year Integrated course)
32	Aalim
33	Shashtri
34	B.Tech/B.E. for laterally admitted candidates having degree of three years diploma courses approved by the State Technical Education Council

भविष्य में किसी पाठ्यक्रम को इस योजना में शामिल करने अथवा इस योजना से विलोपित करने हेतु शिक्षा विभाग स्वतंत्र होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(बिनोद कुमार सिंह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप संख्या 15/एम 1–10/2017 पटना, दिनांक.......................

प्रतिलिपिः– महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/कुलसचिव, राज्य के सभी विश्वविद्यालय एवं निदेशक, राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(बिनोद कुमार सिंह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप संख्या 15/एम 1–10/2017 – 489 पटना, दिनांक 24/3/ 2017

प्रतिलिपिः– राज्य में अवस्थित सभी अनुसूचित बैंकों के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/श्री आर0 के0 दास, संयोजक, एस0एल0बी0सी0 एवं क्षेत्रीय प्रोग्राम मैनेजर, 3 आई0 इन्फोटेक लिमिटेड, मुम्बई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. विभागीय आई0टी0 मैनेजर को अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराते हुए निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड किया जाए।

24/3/17
(बिनोद कुमार सिंह)
सरकार के विशेष सचिव

D:\Sachitanand singh 2017\Adisuchana 2017.docx